नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर -6, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक-नौएडा/ग्रु0हाउ0/जीएच-21 /1/2019/ 5510

दिनांकः 18 अक्टूबर, 2019

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की वर्तमान नीति के अनुसार ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में पट्टा प्रलेख में निहित शर्तों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कर अधिभोग प्रमाण पत्र लिये जाने का प्राविधान है। निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में प्रथम वर्ष कुल प्रीमियम का 4 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष कुल प्रीमियम का 5 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष कुल प्रीमियम का 6 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ समयवृद्धि प्रदान की जाती है। कार्यालय आदेश दिनांक 18.06.2015 के द्वारा प्राविधान किया गया है कि प्रथम तीन वर्ष में भी निर्माण कार्य पूर्ण करते हुये अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में चतुर्थ वर्ष के लिये 7 प्रतिशत एवं इसके उपरान्त दसवें वर्ष तक प्रति वर्ष कुल प्रीमियम का 1 प्रतिशत बढ़ाते हुये विलम्ब शुल्क के भुगतान के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान की जाती है। यदि बिल्डर द्वारा परियोजना में कितना भी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया हो परन्तु विलम्ब शुल्क पूर्ण आवंटित क्षेत्रफल पर अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है।

प्राधिकरण बोर्ड की 197वीं बैठक दिनांक 27.09.2019 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में नौएडा क्षेत्र की ग्रुप हाउसिंग परियोजना में निम्नानुसार नीति लागू की जाती हैः-

ऐसे विकासकर्ता जिनके द्वारा प्राधिकरण के लक्ष्य के अनुरूप होम बायर्स के लिये अधिक भवनों का निर्माण किया गया है, उन विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण क्षेत्रफल के प्रीमियम के स्थान पर कार्यपूर्ति हेतु अवशेष क्षेत्रफल के प्रीमियम पर समय विस्तरण शुल्क आरोपित किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा परियोजना के लिये निःशुल्क अनुमन्य समय अवधि में जितने क्षेत्रफल का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसके उपरान्त अवशेष क्षेत्रफल के प्रीमियम की गणना करके उस पर प्राधिकरण के नियमानुसार समय विस्तरण आरोपित किया जायेगा। यह व्यवस्था आगामी नये आवंटनों पर लागू होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं।

(राजेश कुमार)
विशेष कार्याधिकारी,
ग्रुप हाउसिंग

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सादर सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक, नौएडा।
3. महाप्रबंधक-नियोजन, नौएडा।
4. विधि सलाहकार, नौएडा।
5. सहायक महाप्रबंधक-ग्रुप हाउसिंग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्याधिकारी,
ग्रुप हाउसिंग